भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3236

दिनांक 28 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

तंजावूर के मूर्तिकारों और कारीगरों के लिए पहचान पत्र

3236. श्री एस. कल्याणसुन्दरम :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की तंजावूर जिले के मूर्तिकारों और कारीगरों को पहचान पत्र जारी करने की कोई योजना है ताकि वे बिना किसी समस्या के पंचलोक मूर्तियों का निर्यात कर सकें, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) तंजावूर जिले में मूर्तिकारों और कारीगरों के लिए कितनी धनराशि और/या ऋण संस्वीकृत किए गए हैं; और

(ग) ऐसी योजनाओं के अंतर्गत कुल कितने लाभार्थी हैं ?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्यमंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (ग) विदेश व्यापार नीति (एफ़टीपी), 2023 के पैरा 2.05 के अनुसार, किसी भी निर्यात या आयात कार्यकलाप को करने के लिए आयात निर्यात कोड (आइईसी) अनिवार्य है। आइईसी के लिए आवेदन डीजीएफटी पोर्टल www.dgft.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन जमा किया जा सकता है।

इसके अलावा, राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) के तहत, तंजावूर जिले सहित देश भर के कारीगरों को आधार से जुड़े कारीगर पहचान पत्र (पहचान) जारी करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है ताकि वे इस स्कीम के तहत लाभ उठा सकें। अब तक, तंजावूर जिले में कुल **2,680** कारीगरों को पहचान आइडी कार्ड जारी किए गए हैं।

एनएचडीपी स्कीम के तहत, तंजावूर जिले में अवसंरचना के विकास, डिजाइन और कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों को लागू करने और निर्धन परिस्थितियों में कारीगरों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए **218.74** लाख रुपये की राशि मंजूर की गई है, जिससे **2,445** कारीगर सीधे लाभान्वित होंगे।

*****